न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 55 / 2021 राजस्व अपील

1. पूरण पुत्र किशनलाल कौम मीना निवासी ग्राम नाहरखोहरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 27.09.2021 नायब तहसीलदार सिकराय उनवानी प्रकरण सरकार बनाम पूरण मुकदमा नम्बर 20 / 2021 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री राकेश जैमन, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 14.07.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने अपीलान्ट को बिना सुने, बिना नोटिस दिये जवाब व साक्ष्य सबूत जिरह का अवसर दिये बिना एकतरफा में अपीलान्ट के विरूद्ध सजा का निर्णय दिनांक 27.09.2021 पारित कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 27.09.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना जवाब व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही एकतरफा में सजा का निर्णय पारित कर कानूनी गलती की है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नहीं है। अपीलान्ट की सजा माफ किया जाना आवश्यक है क्योंकि अपीलान्ट 80 वर्ष की उम्र का अत्यन्त वृद्ध ग्रामीण काश्तकार है। अपीलान्ट का वर्तमान में किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम लाखनपुर तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 393, 365 चरागाह भूमि में से अपना कब्जा व अतिक्रमण हटा लिया है एवं उक्त भूमि खाली कर दी है। मै उक्त भूमि पर भविष्य में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण या कब्जा नहीं करूंगा। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने ग्राम लाखनपुर तहसील सिकराय स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 393, 365 के 0.24 है. रकबे पर बाजरे की फसल काश्त कर एवं कब्जा जोत कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलान्ट को 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा, पेनल्टी व बेदखली से दण्डित किया गया है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम लाखनपुर तहसील सिकराय स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 393, 365 रकबा 0.24 है. पर से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया जाना एवं भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जाना व्यक्त किया है। अपीलान्ट 80 वर्ष का अत्यन्त वृद्ध काश्तकार है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम लाखनपुर तहसील सिकराय स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर नम्बर 393, 365 रकबा 0.24 है. पर से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिये जाने एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार सिकराय द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.09.2021 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 27.09.2021 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official